8.6.18 पत्रावली को लोक अदालत हेतु [illegible]
किया गया, [illegible] को [illegible]
[illegible] दिनांक 27.6.18
केम्प नोताडा को पेश हो।

27.6.18

पत्रावली लोक अदालत केम्प नोताडा में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं मजमें आम में उपस्थित, प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अन्य साक्ष्यादि पर विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु का अध्ययन करनें पर यह पाया कि प्रार्थी विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है और न ही उसका सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्रमाणित है।

प्रार्थी को अपरिमित क्षति होना पूर्णतया प्रमाणित नहीं है। परन्तु विवादित भूमि को दौराने वाद अन्तरण/बैचान किया जाता है तो इससे अपरिमित क्षति भी उपयपक्ष को ही होना संभाव्य है। प्रकरण के अन्य तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है जिनका विनिश्चय दावे में तय किया जावेगा।

प्रार्थी को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजीयात् पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार हैं या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर, परन्तु दावे की मूल विषयवस्तु जो कि विवादित आराजी है, को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाये रखने के मध्यनज़र और साथ ही प्रार्थी के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ एवं वाद बाहुल्यता को रोकने के कम में हम प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अंशतः स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाता है, तथा आदेश दिये जाते है कि, उभयपक्ष विवादित भूमि वाके माल मौजा नोताडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 471 रकबा 0.34 हे0 भूमि के सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति ताफैसला मूलवाद बनाये रखे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।